न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या 8/2021

बउनवान

1. चतुर्भुज पुत्र श्री बिरधीलाल जाति बैरवा
2. प्रहलाद पुत्र श्री मथुरालाल जाति बैरवा
3. रमणीशंकर पुत्र श्री मोतीलाल जाति अहीर निवासीगण ग्राम बोरीना तहसील व जिला बारां (राज.)

(अपीलांटगण)

बनाम

कैलाशबाई पत्नि श्री छीतरलाल जाति बैरवा निवासी बोरीना तहसील व जिला बारां (राज.)

(रेस्पोंडेंट)

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.02.2021 बउनवान मुकदमा कैलाशबाई बनाम चतुर्भुज वगैरह धारा 183 बी राज. काश्त. अधि. प्रकरण संख्या 06/2020 न्यायालय तहसीलदार बारां अन्तर्गत धारा 225 आरटीए

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

उपस्थिति :– 1. श्री हरिओम चर्तुवेदी अभिभाषक **(अपीलांटगण)**

निर्णय दिनांक 20.06.2022

अपीलांटगण द्वारा तहसीलदार बारां के आदेश दिनांक 22.02.2021 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोडेंट अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ग्राम बोरीना की आराजी खसरा नंबर 220 रकबा 0.01 है., 221 रकबा 067 है. कुल किता 2 रकबा 0.68 है. आबादी क्षेत्र की आराजी है जो प्रसाद उर्फ प्रसाद्या जाति मोग्या के खातेदारी की थी। खातेदार ने खसरा नंबर 221 रकबा 0.67 है. आराजी के पश्चिमी दिशा में 30X30 हाथ = 45X45 वर्गफीट के 7 भूखण्डो का सन् 1984 से 1989 तक अपीलान्टगण के पूर्वजों एवं अन्य को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। अपीलान्टगण के पूर्वजों ने क्रय [illegible] भूखण्डो पर कच्चे एवं पक्के आवासों का निर्माण करवाया, तब से अपीलांटगण के प[illegible] उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलांटगण उक्त आवासों में निवास करते चले आ रहे हैं। [illegible] उर्फ प्रसाद्या ने भूखण्डों का बेचान करने के बाद शेष रही आराजी [illegible] को लगभग 5–6 वर्ष [illegible] कैलाशीबाई पत्नि छीतरलाल बैरवा को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा सुपु[illegible] दिया था। बेचान की गई आराजी पर मकानात बने होने की जानकारी कैलाश बाई को थी। अपीलांट क्रम 1 व 2 ने अपने कच्चे आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पक्का निर्माण करवाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.07.05 16:28:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बारां (राज०)

लिए कच्चे मकानों को ढहाकर पक्का निर्माण प्रारम्भ कर दिया। इस पर रेस्पोडेन्ट ने अपीलांटगण के विरूद्ध तहसील बारां में धारा 183 बी आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका अपीलांटगण ने जवाब एवं प्रसाद उर्फ प्रसाद्या का शपथ पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कार्यवाही का संक्षिप्त विचारण किये बिना ही हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलान्ट के अधिवक्ता को सुने बिना ही उक्त आदेश पारित कर अपीलांटगण के विरूद्ध बेदखली के आदेश पारित किये जो विधि के विपरीत होने एवं अवैध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब, नजरी नक्शा, शपथ पत्र एवं भूखण्डो के इकरारनामों का अवलोकन किये बिना ही रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलांटगण की बेदखली बाबत आदेश पारित किया है जो विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध मनमाना होने से निरस्तनीय है। कयशुदा भूखण्डों पर अपीलांटगण के पूर्वजों ने आवास निर्मित किये और उक्त आवासों में विगत 30 वर्षों से निवास करते चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलांटगण के वैध स्वामित्व एवं आधिपत्य के संवैधानिक अधिकारों का हनन होने से अपीलांटगण पारित निर्णय दिनांक 22.02.2021 को अपास्त करवाकर अपने विधिपूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य को यथावत बनाये रखने के कानूनन अधिकारी हैं। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय तहसीलदार बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2021 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित रही। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांटगण की सुनी।

अभिभाषक अपीलांट ने दौरान बहस अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांटगण के पूर्वजों ने उक्त आराजी तत्कालीन खातेदार प्रसाद उर्फ प्रसाद्या जाति मोग्या, जो कि सामान्य जाति का व्यक्ति है, से 32 से 37 वर्ष पूर्व जर्ये इकरारनामे कय कर कब्जा प्राप्त किया है जिसे जायज अर्सा 12 वर्ष से अधिक समय हो गया है। विकेता द्वारा अपीलांटगण के पूर्वजों को जब कब्जा दिया तभी से वाद कारण पैदा हो गया था। अपीलांटगण ने उक्त आराजी पर अतिकमण नहीं किया बल्कि कीमत देकर भूखण्ड खरीदे और भूखण्डों पर कब्जा प्राप्त किया है। अतः अपीलांटगण के विरूद्ध कार्यवाही चलने योग्य नही है। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने विधिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2018(2) आरजे पेज नं. 1258 सोन बनाम [illegible] [illegible] आरबीजे 2006 पेज नं. 784 वरदा बनाम नारा[illegible] [illegible] नं. 846 शिशपाल बनाम सेडुराम, सुआलाल बनाम केशव सिंह, डी[illegible] डीएनजे 2022 (1) रेव पेज नं. 303 [illegible] अन्य की छायाप्रतियां पेश की। [illegible] नारायण बनाम सोहनी व [illegible] तथा अपील अ[illegible]गण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय दिनांक 22.02.2021 खारिज कि[illegible] जाने की इस्तदुआ की।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अपीलांटगण को इकरारनामे से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलांटगण ने अपील

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.07.05 16:28:47 IST
Reason: SelfAttested

में यह स्वंय स्वीकार किया है कि उनका इकरारनामे से क्रय की गई भूमि पर कब्जा है। ग्राम बोरीना की जमाबन्दी खाता संख्या नया 18 पुराना 78 अनुरूप आराजी खसरा नंबर 220 रकबा 0.01 है. व 221 रकबा 0.67 है. कुल किता 2 रकबा 0.68 है. रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करना साबित होता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य भिन्न होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते। परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील सारहीन होना पाया जाता है।

अतः अपील अपीलांटगण सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.07.05 16:28:47 IST
Reason: SelfAttested